

राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह बोर्ड गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (गवाला), पूरबिया (धनगर, गाडरी) जातवर्ग की स्थितिका जायज़ा लेकर, प्रामाणिकि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पछिड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
- बोर्ड द्वारा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, रोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों/कुरीतियों के वरिद्ध ठोस उपाय करने और परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने सहित अन्य सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।
- इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/नदिशक/संयुक्त नदिशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप नदिशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे।
- इनके अलावा, राजस्थान राज्य अन्य पछिड़ा वर्ग वरित एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड के प्रबंध नदिशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के वशिष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।